



Neutral Citation No. - 2026:AHC:160715

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 43413 वर्ष 2025

संदीप शर्मा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : जनेश्वर मिश्र बनकटा, कृष्ण कुमार शुक्ल

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शुक्ला तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री आलोक मिश्रा को सुना गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत वर्तमान आवेदन सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 626 सन् 2022, जो मुकदमा अपराध संख्या 287 सन् 2022, धारा 302 भा.दं.सं., थाना-बेवर, जनपद-मैनपुरी से उत्पन्न है, में पारित आदेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 09.10.2025 को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विधि की स्थिति पर विचार किए बिना पारित किया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत आवेदन, पी.डब्ल्यू.-1 (प्रथम सूचनाकर्ता) को पुनः बुलाकर आवेदन में उल्लिखित कुछ प्रस्तावित प्रश्न पूछने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान आवेदक के कारागार में निरुद्ध होने तथा उसके अधिवक्ता से निर्देश प्राप्त न होने के कारण नहीं पूछे जा सके थे।
4. आगे प्रस्तुत किया गया कि घटना का स्थान प्रथम सूचनाकर्ता का घर है। प्रथम सूचनाकर्ता के एक लड़के के साथ अवैध संबंध थे, जो अस्पताल में हुई पंचायतनामा रिपोर्ट का साक्षी है।
5. विद्वान ए.जी.ए. ने मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य से इनकार नहीं किया है।
6. विचारण हेतु कोई अन्य बिंदु नहीं है, सिवाय इसके कि पी.डब्ल्यू.-1 को आगे की जिरह के लिए पुनः बुलाया जाए, ताकि आवेदन में उल्लिखित कुछ प्रस्तावित प्रश्न पूछे जा सकें। इस कारण प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 को सुनवाई का अवसर दिया जाना समाप्त किया जाता है।
7. डॉ. राजेश तलवार और अन्य बनाम सी.बी.आई. और अन्य, (2014) 1 एस सी सी 628 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्पक्ष विचारण के मुद्दे पर विचार करते हुए अनुच्छेद 10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-



“10. इस न्यायालय ने सेल्वी जे. जयललिता और अन्य। बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। (रिट याचिका (दांडिक) संख्या 154 सन् 2013), जिसका निर्णय 30.9.2013 को हुआ, में त्रिवेणीबेन बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 1989 एससी 1335; जाहिरा हबीबुल्लाह शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य, एआईआर 2006 एससी 1367 ; कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम प्रकाश सिंह बादल और अन्य, (2009) 6 एस सी सी 260; मो. हुसैन उर्फ जुल्फिकार अली बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार), एआईआर 2012 एस सी 750 ; तथा नताशा सिंह बनाम सीबीआई (राज्य) , (2013) 5 एस सी सी 741 में दिए गए अपने पूर्व निर्णयों का संदर्भ देने के पश्चात निष्पक्ष विचारण के मुद्दे पर विचार करते हुए कहा:

निष्पक्ष सुनवाई आपराधिक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है और इस निष्पक्षता में किसी भी तरह की बाधा या खतरा नहीं आना चाहिए। निष्पक्ष सुनवाई में आरोपी, पीड़ित और समाज के हित शामिल होते हैं। इसलिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की भावना के तहत हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई मिलनी चाहिए और आपराधिक मामले में लगाए गए आरोपों पर आरोपी को एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित सुनवाई मिलनी चाहिए। सार्वजनिक अधिकारों और कर्तव्यों का कोई भी उल्लंघन पूरे समुदाय पर बुरा असर डालता है और यह आम तौर पर समाज के लिए हानिकारक होता है। सभी परिस्थितियों में, न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा बनाए रखें और यह कर्तव्य 'कानून की गरिमा' को बनाए रखने और उसे साबित करने का है; न्यायालय



आपराधिक कार्यवाही से जुड़े परेशान करने वाले या दमनकारी व्यवहार को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकतीं।

निष्पक्ष सुनवाई न मिलना आरोपी के साथ उतना ही अन्याय है, जितना कि पीड़ित और समाज के साथ। इसके लिए ज़रूरी है कि सुनवाई किसी निष्पक्ष जज के सामने हो, सरकारी अधिवक्ता निष्पक्ष हो और माहौल शांत और न्यायपूर्ण हो। चूंकि सुनवाई का मकसद न्याय करना, दोषी को सज़ा देना और बेगुनाह को बचाना है, इसलिए सुनवाई का मकसद सच का पता लगाना होना चाहिए, न कि तकनीकी बातों पर बहस करना। साथ ही, इसे ऐसे नियमों के तहत किया जाना चाहिए जो बेगुनाह की रक्षा करें और दोषी को सज़ा दें। न्याय न सिर्फ़ होना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। इसलिए, निष्पक्ष सुनवाई संविधान के अनुच्छेद 21 के लिए बहुत ज़रूरी है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न सिर्फ़ एक बुनियादी अधिकार है, बल्कि एक मानवाधिकार भी है। इसलिए, निष्पक्ष सुनवाई में कोई भी रुकावट संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो सकती है।

XX XX XX XX

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 12 निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का प्रावधान करता है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में भी शामिल है। इसलिए, निष्पक्ष सुनवाई आपराधिक न्याय-व्यवस्था का मूल आधार है और एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो कानून के शासन से संचालित होती है। निष्पक्ष सुनवाई से इनकार करना मानवाधिकारों की हत्या के समान है।" 8. नताशा सिंह बनाम सी.बी.आई. (राज्य), (2013) 5 एस सी सी 741

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पी संजीव राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, एआईआर 2012 एस सी 2242 के फैसले का हवाला देते हुए सीआर.पी.सी. की धारा 311 के तहत विवेकाधीन शक्ति के दायरे पर विचार किया, जो इस प्रकार है:-

हॉफमैन एंड्रियास बनाम इंस्पेक्टर ऑफ़ कस्टम्स, अमृतसर, (2000) 10 एस सी सी 430 मामले में इस कोर्ट ने कहा था कि हर निष्पक्ष सुनवाई का मकसद आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका देना होता है। इस संबंध में नीचे दिया गया अंश उपयुक्त है:

ऐसे हालात में, अगर नए अधिवक्ता को लगता है कि अहम गवाहों से और पूछताछ होनी चाहिए, तो कोर्ट न्याय के हित में उदार रवैया अपना सकता है, खासकर तब जब कोर्ट के पास इस मामले में कोड की धारा 311 के तहत व्यापक अधिकार हों। आखिरकार, ट्रायल मूल रूप से कैदियों के लिए होता है और कोर्ट को उन्हें यथासंभव निष्पक्ष तरीके से मौका देना चाहिए।

XXX XXX XXX XXX

हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि गवाहों से मुख्य पूछताछ लगभग सात साल पुरानी घटना के बारे में हुई थी, और अब लगभग चार साल बाद उन्हें दोबारा बुलाने का निर्देश दिया जा रहा है... हमारी राय है कि तर्क के आधार पर और गवाहों से जिरह का मौका न देने के नतीजों को देखते हुए, हम अपीलकर्ता को मौका देने के पक्ष में गलती करना बेहतर समझेंगे, बजाय इसके कि अपीलकर्ता के नुकसान पर अभियोजन पक्ष को किसी संभावित नुकसान से बचाया जाए। निष्पक्ष सुनवाई हमारे



न्यायिक तंत्र में एक बहुत ज़रूरी गुण है और इस गुण की रक्षा के लिए कोई भी कीमत ज़्यादा नहीं है। अभियोजन पक्ष को होने वाला संभावित नुकसान तो कोई कीमत ही नहीं है, और यह तो बिल्कुल भी नहीं जिसके आधार पर आरोपी को अपना बचाव करने का निष्पक्ष मौका देने से इनकार किया जा सके।”

8. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा **नताशा सिंह (उपर्युक्त)** और **डॉ. राजेश तलवार (उपर्युक्त)** में प्रतिपादित विधि की स्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि से स्थिर नहीं है और निरस्त किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में उल्लिखित प्रस्तावित प्रश्नों (6 प्रश्न) की सीमा तक आगे की जिरह के लिए पी.डब्ल्यू.-1 को पुनः बुलाया जाए तथा आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी प्रथम उपस्थिति की तिथि पर बिना किसी स्थगन के आगे की जिरह पूर्ण करे।
9. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी)

03 अगस्त, 2026

ईशान